कार्रवाई | **एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेची**

दो शराब दुकानों पर 4 .54 लाख का जुर्माना

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट में एमआरपी से अधिक और कम कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने दो दुकानों पर 4 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई लांजी क्षेत्र में की गई, जहां अनियमितताएं पाई गईं। जिले में अब तक कुल छह दुकानों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है।

आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि लांजी वृत्त के उपनिरीक्षक ने 7 मई को आकस्मिक टेस्ट परचेज और निरीक्षण किया था। इस दौरान लांजी और हिर्री स्थित दो अलग-अलग मदिरा दुकानों में एमआरपी से अधिक और कम दाम पर शराब बेचने की अनियमितता सामने आई।

निरीक्षण में पाया गया कि कम्पोजिट मदिरा दुकान लांजी-बी में रॉयल स्टेग व्हिस्की (180 एमएल) 260 रुपये की एमआरपी के बजाय 300 रुपये में बेची जा रही थी। ग्राहकों से प्रति पाव 40 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। यह मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) 20 फरवरी 2026 की कंडिका 21.1 और सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों 7, 18, 20 एवं 22 का उल्लंघन था।

इस मामले में आबकारी विभाग ने विनो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 25 हजार 736 रुपये की शास्ति (जुर्माना) और 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। इसे कंपनी का पहला अपराध मानते हुए प्रकरण का शमन किया गया।

इसी तरह, कम्पोजिट मदिरा दुकान हिर्री में देशी मसाला मदिरा (180 एमएल) 93 रुपये की एमआरपी के बजाय 90 रुपये में बेची जा रही थी। यह भी अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन पाया गया। इस उल्लंघन के लिए विभाग ने स्मोकिन लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 28 हजार 385 रुपये की शास्ति और 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाकर प्रकरण का निराकरण किया।

18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 26 को नि:शुल्क नेत्र रोग शिविर आयोजित होगा

बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप के मार्गदर्शन में 26 मई 2026, मंगलवार को जिला चिकित्सालय परिसर स्थित डीईआईसी केंद्र में नि:शुल्क नेत्र रोग निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह विशेष नेत्र रोग शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में नागपुर एवं बालाघाट के विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे।

बसों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, इमरजेंसी एग्जिट गेट बंद

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट बस स्टैंड पर शनिवार को यातायात विभाग की जांच में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। जांच के दौरान अधिकांश बसों में इमरजेंसी एग्जिट गेट बंद मिले और फर्स्ट एड बॉक्स में रखी दवाएं एक्सपायरी डेट की पाई गईं। विभाग ने बस संचालकों को दो दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी दी है।

यातायात थाना प्रभारी यीना राहंगडाले के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पाया गया कि कई बसों से अग्निशमन यंत्र और किराया सूची नदारद थी। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में बस मालिकों ने इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास भी अतिरिक्त सीटें लगवा दी थीं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों का निकलना असंभव हो सकता है।

हाल ही में शाजापुर में हुई बस आगजनी की घटना, जिसमें एक मासूम की जान चली गई थी, के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोक परिवहन की बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आगजनी जैसी घटनाओं को रोकना है।

यातायात प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में बस ऑपरेटरों को केवल समझाइश दी जा रही है। उन्हें दो दिनों का समय दिया गया है ताकि वे निकास द्वार से अतिरिक्त सीटें हटा लें और एक्सपायर दवाओं व अग्निशमन यंत्रों को बदल सकें। सोमवार के बाद भी खामियां मिलने पर बसों को जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कृषि सभा यात्रा की कार्यशाला आयोजित

सरपंच अनीस खान के आतिथ्य में रामजीटोला में आयोजन

नवभारत, लालबर्रा। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा अंतर्गत ग्राम रामजीटोला में कृषि सभा यात्रा का 3सम्पन्न किया गया उक्त कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा सरपंच अनीस खान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसानों को खेती से संबंधित जानकारी दी गई साथ ही वर्तमान में नये तरीको को अपनाकर खेती करने पर बल दिया गया है। इस अवसर पर सरपंच अनीस खान सहित डॉ रामप्रसाद पंचेश्वर, कृष्णा लरहे, कृष्णा पंचेश्वर, सेवक माने, श्री मातरे, अर्जुन मानेश्वर, इफको मैनेजर श्री शुक्ला, श्रीमती रंगारे , हरीश माने सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं किसान उपस्थित रहे।

परसवाड़ा में कलेक्टर ने ली खंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की

नवभारत, परसवाड़ा। परसवाड़ा में शनिवार 23 मई 2026 को आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना ने सभी विभागों के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांदीपनि विद्यालय परसवाड़ा में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर डी पी बर्मन तथा एसडीएम श्रीष प्यासी सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागवार योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने एसडीएम परसवाड़ा को निर्देश दिए कि वे अनुभाग स्तर पर नियमित बैठक लेकर सभी विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 तक शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के पंजीयन के निर्देश दिए गए। कक्षा 6 एवं 9 के विद्यार्थियों को साइकिल तथा सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों का शीघ्र वितरण कर उसकी पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया। कमजोर शैक्षणिक स्तर वाली शालाओं में एफएलएन मेले आयोजित करने एवं बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी कहा गया कि शिक्षक जिस प्रकार अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार शासकीय विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा पर भी गंभीरता से कार्य करें।

परसवाड़ा विधायक मधु भगत को संघ ने सौंपा ज्ञापन

पेसा मोबिलाइजरों की सेवा बहाली की मांग, आदेश निरस्त करने की उठाई आवाज

नवभारत, बालाघाट। पंचायत पेसा मोबिलाइजर संगठन बालाघाट ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक मधु भगत को ज्ञापन सौंपकर पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने और सेवा बहाल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि सेवा समाप्ति का आदेश वापस नहीं लिया गया तो आदिवासी क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और ग्राम सभा सशक्तिकरण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक 8448/सं/राज/ऋाऋ-83/2026 भोपाल, दिनांक 18 मई 2026 के माध्यम से पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेशभर के मोबिलाइजरों में चिंता और असंतोष का माहौल है। संगठन ने इस आदेश को आदिवासी अंचलों के विकास और ग्राम स्तरीय योजनाओं के संचालन के लिए नुकसानदायक बताया है।

ज्ञापन में कहा गया कि पेसा मोबिलाइजर लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए ग्राम सभा सशक्तिकरण, पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, जनजागरूकता अभियान तथा विभिन्न विकास कार्यों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवाएं समाप्त होने से न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ेगा, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों की विकास गति भी प्रभावित होगी।

संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि पेसा मोबिलाइजर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तथा सेवा समाप्ति के कारण उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञापन के अनुसार, अधिकांश पेसा मोबिलाइजर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 प्रतिशत बताई गई है। ऐसे में सेवा समाप्ति का निर्णय अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

संघ ने विधायक मधु भगत से आग्रह किया कि वे इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन के समक्ष मजबूती से रखें और सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को निरस्त कराने के लिए आवश्यक पहल करें। संगठन का कहना है कि पेसा मोबिलाइजरों की बहाली से ग्राम स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।

इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र उचित निर्णय नहीं लिया गया तो पेसा मोबिलाइजर आंदोलन की राह भी अपना सकते हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में सेवा बहाली की मांग को प्रमुखता से उठाया।

शिक्षा और जनभागीदारी की ऐतिहासिक पहल, विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगा नया आसमान

परसवाड़ा में आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ

नवभारत, परसवाड़ा। वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य को नई दिशा देने वाली बहुप्रतीक्षित आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ शनिवार 23 मई को कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा परसवाड़ा में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ एवं एसडीएम श्रीष प्यासी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। पुस्तकालय के शुभारंभ को लेकर क्षेत्रभर में उत्साह और उत्सुकता का माहौल देखा गया।

जनसहयोग, प्रशासनिक पहल और समाजसेवियों के सामूहिक प्रयासों से तैयार किया गया यह पुस्तकालय अब केवल एक भवन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों, संघर्षों और सफलता का केंद्र बनने जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। वनांचल क्षेत्र के अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसे में यह आधुनिक पुस्तकालय विद्यार्थियों को शांत अध्ययन वातावरण, प्रतियोगी परीक्षाओं की उपयोगी पुस्तकें, समाचार पत्र, संदर्भ सामग्री एवं उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। यहां विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ आत्मविश्वास और नई प्रेरणा भी मिलेगी।

बीते माह प्रारंभ किए गए 'मेरा परसवाड़ा मेरी लाइब्रेरी' अभियान को क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। परसवाड़ा क्षेत्र के युवा समाजसेवी रामेश्वर कटरे एवं युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी तथा एसडीएम श्रीष प्यासी के मार्गदर्शन में पुस्तकालय के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया। समाज के हर वर्ग के सहयोग से इस पुस्तकालय को साकार रूप दिया जा सका।

कनकी में रात्रिकालीन चौपाल लगाकर कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्या

बिजली, पानी, सड़क और स्कूल की समस्याओं के मौके पर दिए समाधान के निर्देश

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना ने गुरुवार 22 मई को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम कनकी में रात्रिकालीन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। चौपाल में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के खंड एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

चौपाल की शुरुआत में ग्राम पंचायत कनकी के सरपंच श्री दुर्गा प्रसाद पगरवार ने गांव की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि गांव के आधे हिस्से को धपेरा फीडर और शेष हिस्से को गर्रा फीडर से बिजली आपूर्ति होने के कारण नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बांडा तालाब की भूमि का सीमांकन नहीं होने, नहरों की सफाई नहीं होने, रेत खदान से ग्रामीणों को रेत नहीं मिलने तथा नल-जल योजना का पानी आवास टोला तक नहीं पहुंचने जैसी समस्याएं बताई।

कलेक्टर श्री मीना ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री ने 15 दिनों के भीतर बिजली फीडर संबंधी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लवादा की पानी टंकी में क्षमता अनुसार जल भंडारण नहीं होने से पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को बांडा तालाब की नहरों की सफाई कराने के निर्देश भी दिए गए।

ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए सड़क किनारे नाली निर्माण की मांग रखी। इस पर पंचायत सचिव को जेसीबी मशीन से नाली खुलवाने की कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं कनकी के बंजारी आवास टोला में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होने की समस्या पर कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के लिए वैकल्पिक शाला व्यवस्था करने तथा आंगनवाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

चौपाल में खाद्यान्न पात्रता पर्ची और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट किया कि अपात्र लोगों के नाम सूची से हटने के बाद पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची जारी की जाएगी। वहीं जिन लोगों के नाम आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल हो चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।

बिना पंजीयन एवं लाइसेंस के चल रहा था जनता पाइल्स क्लिनिक

स्वास्थ्य विभाग ने किया सील

नवभारत,जबलपुर। स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैध पंजीयन और लायसेंस के लेबर चौक स्नेहनगर में संचालित किये जा रहे जनता पाइल्स क्लिनिक को सील कर दिया है तथा विधिवत पंजीयन प्राप्त होने तक क्लिनिक को पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग होम शाखा की टीम ने जनता पाइल्स क्लिनिक का शुक्रवार की शाम आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस क्लिनिक द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप कोई वैध पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था तथा नर्सिंग होम एक्ट का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

7 दिनों से चल रहा था क्लिनिक

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह क्लिनिक पिछले लगभग 7 दिनों से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। संस्थान के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन अनुजा, फायर सेफ्टी सहित किसी भी विभाग की आवश्यक एनओसी उपलब्ध नहीं थी।

निरीक्षण की कार्रवाई नोडल अधिकारी नर्सिंग होम शाखा डॉ आदर्श विश्नोई के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान जनता पाइल्स क्लिनिक को सील कर बंद कराया गया। क्लिनिक प्रबंधन को निर्देशित किया गया है की जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विधिवत पंजीयन प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक क्लिनिक पूर्णत: बंद रखा जाएगा। अगर अस्पताल का संचालन किया जाएगा तो विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

40 मरीजों का हो गया अवैध जगह इलाज

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि जनता पाइल्स क्लिनिक केवल क्लिनिक के रूप में नहीं बल्कि एक अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा था, जहां लगभग छह बेड लगाए गए थे तथा मरीजों का पाइल्स, भगंदर एवं फिस्टुला जैसी बीमारियों का उपचार किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि क्लिनिक में करीब 40 मरीजों का उपचार किया जा चुका था तथा उनसे फीस लेकर उपचार प्रक्रियाएं भी की गई थीं। निरीक्षण दल द्वारा ओपीडी स्लिप एवं उपचार संबंधी पर्चियों को भी जब्त कर सील किया गया है।

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने को लेकर नगर निगम मुस्तैद

कई वार्डों में सुधारा गया पानी का लीकेज

नवभारत,जबलपुर। नागरिकों को सुचारू और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में शुक्रवार को निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अभियान चलाकर पाइप लाइन लीकेज सुधार का कार्य किया गया।

इस संबंध में अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि राजीव गांधी वार्ड शांति नगर अंतर्गत गली नंबर 21 में आभा मेडिकोज के पास लंबे समय से हो रहे पाइप लाइन लीकेज को नगर निगम की टीम ने पूरी तत्परता से दुरुस्त किया। व्यापारिक और व्यस्त क्षेत्र अंधेरदेव में एम.पी. स्पोर्ट शॉप के बाजू वाली गली में मुख्य पाइप लाइन का सुधार कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड संभाग क्रमांक 1 के अंतर्गत होटल सत्यरक्षा के समीप आ रही जलप्रदाय की समस्या को दूर करते हुए पाइप लाइन को ठीक किया गया।

लोहमारा सरपंच का गौ तस्करी में जारी किया फर्जी प्रमाण पत्र

मूक मवेशियों की तस्करी का पर्दाफाश, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज, सरपंच पर भी मामला दर्ज करने की मांग

नवभारत कटंगी। ग्राम पंचायतों में सरपंच-सचिव भ्रष्टाचार के मामले हमेशा चर्चा में रहते हैं, किन्तु आश्चर्य तो तब होता है जब सरपंच अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। इसी तरह का मामला कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सेलवा में सामने आया है।

गुरुवार की देर रात ग्रामीणों ने मूक मवेशियों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना ने ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े को भी उजागर किया है।

गुरुवार रात लगभग साढ़े 11 बजे ग्राम सेलवा के ग्रामीणों ने कृषि मंदिर के पास तीन व्यक्तियों को मवेशियों को पैदल हांकते हुए देखा। ग्रामीणों को शक हुआ कि ये लोग मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। तुरंत ही ग्रामीणों ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया।

ग्रामीणों ने आरोपियों को किया पुलिस के हवाले

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग स्थानों से मवेशियों को खरीदकर ला रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी और आरोपियों को 3 मवेशियों सहित पुलिस के हवाले कर दिया।

तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज

शुक्रवार दोपहर 2 बजे पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लक्केश खरोले, योगराज उइके और हंसलाल उइके के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सरपंच का फर्जी प्रमाण पत्र बरामद

जब ग्रामीणों ने आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से ग्राम पंचायत लोहमारा के सरपंच द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र मिला। इस प्रमाण पत्र में लिखा था कि आरोपी अनिल खरोले ने गुलाब हरने निवासी लोहमारा से तीन मवेशी खरीदे हैं, जिनमें एक गाय और दो गौरी शामिल हैं। जब गुलाब से इस संबंध में चर्चा की तो उसने साफ कहा कि उसने किसी को भी मवेशी नहीं बेचे। इससे स्पष्ट होता है कि लोहमारा सरपंच द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

ग्रामीणों की सजगता से टली तस्करी

इस पूरे घटनाक्रम में सेलवा के ग्रामीणों की सजगता और साहसिक कदम सबसे महत्वपूर्ण रहा। देर रात मवेशियों को हांकते हुए देखकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ लिया। यदि ग्रामीण समय रहते सतर्क न होते तो संभव था कि मवेशियों की तस्करी सफल हो जाती।

सरपंच की भूमिका पर सवाल -लोहमारा सरपंच द्वारा जारी किया गया फर्जी प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत किस हद तक फैल चुकी है। सवाल यह उठता है कि सरपंच ने बिना वास्तविक लेन-देन के प्रमाण पत्र क्यों जारी किया? ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को सरपंच पर भी कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे अवैध कार्यों की संलिप्तता पर विराम लग सके।